

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणु के लेखाओं का  
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 1.04.2015 से 31.03.2016

भाग - एक

1 (क) प्रस्तावना

निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम 2004 की धारा 28(3) के अंतर्गत विहित प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच. एस.जी. -4(डी) 1-1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल परवाणु जिला सोलन के लेखाओं अवधि 1.04.2015 से 31.03.2016 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान श्री रमेश चन्द भाटिया अधिशाषी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण/संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणु के लेखाओं अवधि 1.04.2015 से 31.03.2016 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण

क्रम सं.	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण	पैरा सं.	राशि लाखों में (₹)
1	परवाणु मण्डल के अधीन विभिन्न आवास बस्तियों से रख-रखाव के रूप में दिनांक 31.03.2016 तक वसूली योग्य शेष।	4	278.84
2	परवाणु मण्डल के अधीन विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं से जल प्रभार के रूप में दिनांक 31.03.2016 तक वसूली योग्य शेष।	5(क)	39.40
3	संविदाकार को 10 cc दावे के रूप में अधिक भुगतान किया जाना	8	1.02
4	संविदाकार को अनुचित भुगतान किया जाना	9	0.64
5	आबंटन पत्र (Award Letter) में वर्णित शर्तों की अनदेखी करके संविदाकार को अनियमित भुगतान करना	10(ख)	3.70
6	नियमों की अनदेखी करके "Work Done and Measured" के बदले में अग्रिम प्रदान कर संविदाकारों को अनुचित लाभ प्रदान करना	15 & 16	30.75
7	निर्माण कार्यों को निर्धारित अवधि के अनुसार पूर्ण न करना	17	305.93
8	माप में गणना की त्रुटि के कारण संविदाकार को अधिक	19	0.39

	भुगतान करना	& 20	
9	अनुबंध प्रमात्रा से अत्याधिक कार्य निष्पादन करने के परिणामस्वरूप संविदाकारों को अनियमित भुगतान	22	14.77
10	नियमों की अवहेलना करके संविदाकार/ठेकेदारों को अधिक Secured Advance प्रदान करके अनुचित लाभ पहुंचाना	23	32.49
11	Service Tax को Custom & Central Excise Deptt. में दिनांक 31.03.2016 तक जमा न करवाना	24	27.59
12	श्रेणी-4 के कर्मचारियों को 20 वर्ष की सेवा अवधि के उपरांत अतिरिक्त वेतन वृद्धि का गलत लाभ प्रदान करने के कारण वेतन व भत्तों का अनियमित भुगतान	25	2.03
13	सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा निवृत्त उपदान(ग्रेचुइटी) की गलत गणना किये जाने के कारण अधिक भुगतान	26	0.28
14	वेतन की गलत गणना किये जाने के कारण श्री पूरन सुख चपरासी(सेवा निवृत्त) को नगद अर्जित अवकाश (Leave Encashment) का अधिक भुगतान करने बारे।	27	0.09
15	मकान किराया भत्ते के रूप में कर्मचारियों को अनियमित भुगतान करना	28	0.13
16	यात्रा भत्ते दावे का अनियमित भुगतान	29	0.50
17	विविध अग्रिम लेखा शीर्षक के अंतर्गत समायोजन हेतु शेष राशि	32	95.06

#### (ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के शेष अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट "क" में दर्शाई गई हैं। वर्ष 04/84 से 03/2015 तक मण्डल से संबन्धित 19 पैरे शेष हैं, जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

क्र. सं.	वर्ष	शेष पैरो की सं.
1	1984-85	1
2	1991-92	3
3	1995-96	1
4	2006-07	1
5	2008-09	1
6	2012-13	1
7	2013-14	6
8	2014-15	5

अतः अधिशाषी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणु, जिला सोलन, हि. प्र. उपरोक्त शेष अनिर्णीत पैरो में अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरांत इन पैरो का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

### भाग-दो

#### 2. वर्तमान अंकेक्षण

आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणु के लेखाओं अवधि 01.04.2015 से 31.03.2016 तक की वर्तमान लेखा परीक्षा श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी (ले. प.) व श्री रविंदर सिंह, अनुभाग अधिकारी (ले. प.) द्वारा दिनांक 23.02.2017 से 01.05.2017 तक श्री सतपाल सिंह, उप निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश), शिमला -09 के पर्यावेक्षण में मण्डल के परवाणु स्थित कार्यालय में किया गया। विस्तृत अंकेक्षण हेतु मास 08/2015 के लेखों का चयन किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में समाविष्ट हैं। अंकेक्षण प्रतिवेदन में निम्न अंकेक्षण आपत्तियों में दर्शाए गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण, अधिशाषी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणु, जिला सोलन, हि. प्र. द्वारा प्रेषित सूचनाओं के आधार पर किया गया है, किसी प्रकार की अधूरी व छुपाई गई सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला -09 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। क्योंकि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण केवल चयनित मासों तक ही सीमित रखा गया है।

#### 3. अंकेक्षण शुल्क :

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल परवाणु जिला सोलन के लेखाओं अवधि 1.04.2015 से 31.03.2016 का अंकेक्षण करने के शुल्क की राशि जमा करवाने हेतु सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण शिमला-02 को अलग से अनुरोध किया गया जाएगा।

#### 4. विभिन्न आवास बस्तियों के रख-रखाव प्रभार की ₹278.84 लाख दिनांक 31.03.2016 तक वसूली हेतु शेष:-

अंकेक्षण को रख-रखाव से संबन्धित प्रस्तुत अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि विभिन्न आवास बस्तियों के मालिकों/फैक्टरी मालिकों/आबंटियों से दिनांक 31.03.2016 तक रख-रखाव प्रभार के रूप में निम्न विवरण अनुसार ₹2,78,83,774 वसूली योग्य शेष थी तथा यह राशि निरंतर वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है जिससे स्पष्ट विदित होता है कि शेष राशि कि वसूली हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किए जा रहे है जोकि एक गम्भीर चिंता का विषय है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के समक्ष विशेष ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है, कि वर्णित रख-रखाव प्रभार कि वसूली योग्य राशि की शीघ्र वसूली हेतु ठोस पग उठाए जाने सुनिश्चित किए जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

आवास बस्ती का नाम

दिनांक 31.03.2016 को वसूली योग्य राशि

1862176.00

Housing Colony ,Commercial Baddi		
Housing Colony Nalagarh		380625.00
Housing Colony Mandhala		4110243.00
Housing Colony KaluJanda		10142381.00
Housing Colony Parwanoo		2389834.00
Housing Colony Paonta Sahib		8560429.00
Housing Colony Subhkhera		236602.00
Housing Colony MogiNand	201484.00	
<b>Total</b>		<b>27883774.00</b>

**5 (क) विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं से जल प्रभार की ₹39.40 लाख वसूली हेतु शेष**

जल प्रभार से संबन्धित प्रस्तुत अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि आवास बस्तियों के मालिकों/फैक्टरी मालिकों/आबंटियों से दिनांक 31.03.2016 तक जल प्रभार के रूप में निम्न विवरणानुसार ₹3939645.00 वसूली योग्य शेष थी तथा यह राशि वर्ष दर वर्ष निरंतर बढ़ रही हैं जिससे स्पष्ट विदित होता है कि शेष राशि की वसूली हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किए जा रहे हैं जोकि एक गम्भीर चिंता का विषय हैं। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के समक्ष विशेष ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है, कि वर्णित जल प्रभार की वसूली योग्य राशि की शीघ्र वसूली हेतु ठोस पग उठाए जाने सुनिश्चित किए जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Sr. No.	Name of Water Supply Scheme	Amount
1	Water Supply Scheme Parwanoo Sub-Division	1349445.00
2	Water Supply Scheme Paonta Sahib Sub-Division	5345.00
3	Water Supply Scheme Shubkhera	23890.00
4	Water Supply Scheme Baddi	2245767.00
5	Water Supply Scheme Nalagarh	65473.00
6	Water Supply Scheme Kalughanda	247710.00
7	Water Supply Scheme Mandhala	2015.00
<b>Total</b>		<b>3939645.00</b>

**(ख) लम्बी अवधि से पीने के पानी के खराब मीटर को बदलने या पानी का Connection Disconnect करने की अपेक्षा ऐसे उपभोक्ताओं को औसत आधार पर पानी के बिल जारी करने संबंधी अनियमितता**

अंकेक्षण में पीने के पानी के बिलों से संबन्धित प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि जिन उपभोक्ताओं के पानी के मीटर खराब या बंद थे, उन सभी उपभोक्ताओं को औसत

आधार पर पानी का बिल जारी किया जा रहा था। जबकि पानी के बिल के पीछे लिखी “Instructions to Consumers” की निर्देश संख्या 11 में स्पष्ट रूप से लिखा गया था “ If the defective meter is not replaced with in 10 days from the date of issue of notice, the water supply to your premises shall be disconnected without issuing any further notice.” परन्तु इस निर्देश के बावजूद ऐसे सभी उपभोक्ताओं, जिनका मीटर खराब था या जिनका मीटर बन्द था, को दिनांक 31.03.2016 तक खराब पानी का मीटर बदलने और पानी का Connection Disconnect किए जाने बारे किसी भी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। ऐसे सभी उपभोक्ताओं का विवरण परिशिष्ट-क-1 पर दिया गया है जिन्हें पीने के पानी के बिल औसत आधार पर जारी किए जाने के कारण निर्माण मण्डल को आय की हानि हो रही थी। अतः पानी के खराब मीटर वाले उपभोक्ताओं के पानी के Connection को Disconnect करने के स्थान पर, औसत आधार पर पानी का बिल जारी किए जाने को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा पानी के बिल के पीछे वर्णित “Instructions to Consumers” के निर्देश 11 के आधार पर ऐसे सभी उपभोक्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

( ग) पीने के पानी के बिलों की देय बकाया राशि अधिक होने के बावजूद भी नियमानुसार पानी का Connection Disconnect न करना: -

अंकेक्षण में पीने के पानी के बिलों से संबन्धित प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि जिन उपभोक्ताओं ने अपनी पानी के बिल की देय बकाया राशि का भुगतान लम्बे समय से नहीं किया था, उन सभी उपभोक्ताओं के पानी के Connection दिनांक 31.03.2016 तक Disconnect नहीं किए गए थे। जबकि पानी के बिल के पीछे लिखी “Instructions to Consumers” की निर्देश संख्या 10 के अनुसार ऐसा किया जाना अपेक्षित था जिस में स्पष्ट रूप से लिखा गया था “ If the Payment of this bill is not made within the due date of bill, the water supply to your premises shall be disconnected without any further notice. In the case of reconnection, if applied for, the authority will restore the supply only after depositing the arrear of water tax due from the consumer along with a penalty of Rs. 100.00.” इस प्रकार नियमों की अनदेखी करके जहाँ एक और निर्माण मण्डल को वित्तीय हानि हो रही है वही दूसरी ओर पानी का Connection Restore करने से होने वाली आय से भी वंचित होना पड़ रहा है। इस अनियमितता से संबन्धित उदाहरण स्वरूप कुछेक व्यवसायिक (Commercial) उपभोक्ताओं का विवरण निम्न दिया गया है। अतः लम्बी अवधि तक पानी के बिल की राशि का भुगतान न किए जाने के फलस्वरूप पीने के पानी के Connection Disconnect न किये जाने को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा विभागीय तौर पर पूर्ण छानबीन के उपरान्त ऐसे सभी प्रकरणों में उक्त वर्णित नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

Sr.No.	Name & Address of Consumer	LF No.	A/C No	Period from which Water Charges was due	Amount of Water Charges due	Remarks
1	Kalima Plastic P-4, Sector-1, Parwanoo	4	IC-4	01.08.2015 to 31.03.2016	5467.00	DCO not issued till 31.03.2016
2	M/s Bholenath Exports 8 Sec-1 Parwanoo	12	IC-09	01.08.2015 to 31.03.2016	69632.00	DCO not issued till 31.03.2016

3	M/s Purolator India 14,Sec-1, Parwanoo	21	IC-16	11.05.2015 to 09.11.2015	18208.00	DCO not issued till 31.03.2016
4	M/s Purolator India 14,Sec-1, Parwanoo	22	IC-16A	12.10.2015 to 09.11.2015	8553.00	DCO not issued till 31.03.2016
5	M/s Hidamba Allied 20, Sec-1, Parwanoo	31	IC-22	09.07.2015 to 09.03.2016	23727.00	DCO not issued till 31.03.2016
6	M/s Amar Flour Mills 30 Sec- 1,Parwanoo	49	IC-35	14.04.2015 to 13.05.2015	9840.00	DCO not issued till 31.03.2016
7	M/s Vikram Pharma Cealical 33, Sec- 1,Parwanoo	53	IC-39	15.09.2015 to 14.10.2015	28967.00	DCO not issued till 31.03.2016
8	M/s Royal Food(P)Ltd. 34 Sec- 1, Parwanoo	54	IC-40	13.04.2015 to 12.10.2015	15601.00	DCO not issued till 31.03.2016
9	M/s Durga Steels, 37.5 Sec 01, Parwanoo	57	IC-43	11.05.2015 to 09.03.2016	29857.00	DCO not issued till 31.03.2016
10	M/s Swastic Ind 41- 42,Sec 01, Parwanoo	61	IC-47	13.08.2015 to 12.10.2015	8285.00	DCO not issued till 31.03.2016
11	M/s Parwanoo Packers43 B,Sec 01, Parwanoo	64	IC-50	13.04.2015 to 09.02.2016	21517.00	DCO not issued till 31.03.2016
12	M/s Him Auto Products 68,Sec 01, Parwanoo	89	IC-72	15.09.2015 to 13.10.2015	7724.00	DCO not issued till 31.03.2016
13	M/s Jindal Industries 73, Sec-01, Parwanoo	93	IC-75A	12.01.2016 to 10.03.2016	52381.00	DCO not issued till 31.03.2016

**6. निर्माण मण्डल के लेखा में Cash Settlement Suspense Account (CSSA) एवं Imprest A/C under Cash Settlement Suspense Account लेखा शीर्षको के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों का दिनांक 31.03.2016 तक अन्य निर्माण मण्डलों के साथ संयोजन न करना: -**

निर्माण मण्डल के Cash Settlement Suspense Account और Imprest A/C under Cash Settlement Suspense Account लेखा शीर्षको की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2016 को निम्न विवरणानुसार इन लेखा शीर्षको के डेबिट में ₹5,45,961.77 और क्रेडिट में ₹64,64,195.25 की राशियाँ हिमुडा के अन्य निर्माण मण्डलों के साथ समायोजन हेतु शेष थी जिसमें से कई निर्माण

मण्डलों के संदर्भ में तो यह राशि वर्ष 2013-14 से समायोजन हेतु लम्बित थी। अतः यह मामला आवश्यक कार्यवाही हेतु हिमुडा शीर्ष अधिकारियों के संज्ञान में इस आशय के साथ लाया जाता, कि Cash Settlement Suspense Account (CSSA) और Imprest A/C under Cash Settlement Suspense Account लेखा शीर्षकों के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों का समायोजन नियमानुसार शीघ्र किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये:-

Account Head	Ledger Page No.	Opening Balance		Debit	Credit	Closing Balance	
		Dr	Cr			Dr	Cr
CSS A/C XEN Division-I SML	348	404441.75 Dr.		Nil	Nil	404441.75 Dr.	
CSS A/C XEN Division-II SML	350		137793.25 Cr.	Nil	5802.00		143595.25 Cr.
CSS A/C XEN HIMUDA Dharamshala	352	68661.36 Dr.		Nil	Nil	68661.36 Dr.	
CSS A/C XEN PP &E HIMUDA Hamirpur	356	72858.66 Dr.		Nil	Nil	72858.66 Dr.	
CSS A/C XEN PP &E HIMUDA Shimla	358		168654.00 Cr.	Nil	Nil		168654.00 Cr.
Imprest A/C H.O.under CSS A/C	360		3021762.05 Cr.	Nil	Nil		3021762.05 Cr.
CSS A/C XEN(E) SML	362		1791630.00 Cr.	Nil	1254349		3045979.00 Cr.
CSS A/C XEN(E) Division Dharmshala	363		84205.00 Cr.	Nil	Nil		84205.00 Cr.
	<b>Total</b>	<b>545961.77</b>	<b>5204044.30</b>	<b>Nil</b>	<b>1260151</b>	<b>545961.77</b>	<b>6464195.30</b>

#### 7. उप-मण्डल में आय की रोकड़ प्राप्तियों को विलंब से मण्डल खाते में जमा करवाया जाना

अंकेक्षण के दौरान उप मण्डल पौंटा साहिब में जल प्रभार और रख रखाव प्रभार के रूप में विभिन्न मकान/प्लॉट मालिकों से प्राप्त आय की प्रस्तुत संबन्धित अभिलेखों से पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार रोकड़ में प्राप्त आय को निर्माण मण्डल में विलम्ब से जमा करवाया जा रहा था जो कि वित्तीय नियमों के विरुद्ध होने के साथ साथ प्राप्त राशि का अस्थाई दुर्विनियोजन भी है। अतः मण्डल स्तर पर आय को देरी से जमा करवाए जाने को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उत्तरदायी से दण्ड ब्याज वसूल किया जाये तथा साथ ही भविष्य में उप मण्डल स्तर पर एकत्रित

आय को उसी दिन या अगले कार्य दिवस को मण्डल खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

**Detail of Late Deposit of Income collected at Sub-Division**

Name of Income	Receipt No. at Sub. Division Level	Amount of Receipt at Division Level	Date /period for which income has been collected	Date of Deposit of Receipt at Division Level
	2638 to 2757	36977	17.04.2015 to 18.04.2015	07.05.2015
WATER CHARGES	2761 to 2885	48659	16.06.2015 to 23.06.2015	06.07.2015
IN R/O HOUSING COLONY PAONTA SAHIB	2888 to 3000	51584	12.08.2015 to 31.08.2015	07.09.2015
	3003 to 3126	45349	15.10.2015 to 16.10.2015	03.11.2015
	3128 to 3233	33045	21.12.2015 to 24.12.2015	04.01.2016
	3237 to 3352	38277	23.02.2016 to 24.02.2016	03.03.2016

**8. वाऊचर संख्या 149 दिनांक 27.08.2015 ₹3880436/-**

निर्माण कार्य का नाम	C/o IRT at Mandhala (SH: C/o Road Footpath, External WS and Sewerage and Drainage)
संविदाकार का नाम	M/S All Grace Engineer.
अनुबंध सं.	02 of 2008-09 10cc Claim

**संविदाकार को 10 cc दावे के रूप में ₹1.02 लाख का अधिक भुगतान**

नियमानुसार पूर्व वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में वर्णित निर्माण कार्य से संबन्धित अधिक भुगतान की राशि जिसकी वसूली आगामी चलित बिलों के भुगतान से कर दी गई हो, को संविदाकार के Gross Value of Work Done में से कम दर्शाकर ही 10 cc दावे की गणना की जानी चाहिए थी किन्तु अंकेक्षण में संविदाकार को 10cc दावे के संबंध में किए गए भुगतान का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि ऐसी वर्णित वसूली की राशि को संविदाकार के Gross Value of Work Done में से कम नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप परिशिष्ट-ख में दिये गए विवरण अनुसार संविदाकार को 10cc दावे का ₹101903 का अधिक भुगतान किया गया था। इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 380/2017 दिनांक 17.03.2017 द्वारा वर्णित अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराने बारे कहा गया था। जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या Audit File/2017-1 दिनांक 26.04.2017 द्वारा सूचित किया गया कि जनरल वाऊचर संख्या 1 of 04/2017 से ₹100000/- की वसूली संविदाकार के Deposit Account से कर ली गई है और शेष ₹1903 की वसूली संविदाकार के अन्य निर्माण कार्य के चलित बिल से कर ली जायेगी। अतः वर्णित अधिक भुगतान की वसूली की सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

**9. वाऊचर संख्या 27 दिनांक 04.08.2015 ₹420573.00**

निर्माण कार्य का नाम	C/O PSFS at Housing Colony at Dharampur. (SH: Demarcation of Plots & Road on Ground P/F CC Pillars, L. Section/X-Sections of Road)
संविदाकार का नाम	M/S Atcone Engineer.
अनुबंध सं.	25 of 2015-16
चलित बिल	1 <sup>st</sup> Running Bill
Abstract of Cost MB	Page No. 87 से 97 of 2185

### संविदाकार को ₹64464 का अनुचित भुगतान

उपरोक्त निर्माण कार्य के 1<sup>st</sup> चलित बिल का उपलब्ध संबन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इस निर्माण कार्य हेतु कोई भी Himachal Pradesh Schedule Rate उपलब्ध न होने के कारण दिनांक 15.05.2015 को M/S Atcone Engineer, मोहाली से निम्नानुसार निविदा द्वारा रेट आमंत्रित किए गए थे, (परिशिष्ट- ग 1 )।

Sr.No.	Description	Qty.	Rate (₹)	Total (₹)
1	Marking/Demarcation of plots & Roads on Ground by fixing bamboo pages with the help of Total Electronic Station by working out co-ordinates in Computer and marking them on ground.	450 Nos.	400.00	180000.00
2	Surveying of Road by taking X-Levels at c/c 30.0m	1700 Mtr	9.00 per Mtr	15300.00
3	Preparation of L-section of NGL and Submission to deptt. For fixing of FRL, preparation of X-Sections & computation of Quantity of earth work and submission of Data in triplicate in binded form.	1700 Mtr	7.50 per Mtr	12750.00
4	P/F of CC Pillers of CC Pillers of Size 4"X4"X1"-6" at the place of Bamboo pegs,painting & numbering etc. complete.	450 Nos.	240.00 each	108000.00
	Total			316050.00
	Service Tax @14%			44247.00
	Net amount payable			360297.00
	Say			360300.00

उक्त निविदा में वर्णित दरों के आधार पर निर्माण मण्डल द्वारा दिनांक 03.07.2015 को Tenders आमंत्रित किए गए तथा जिसमें जिन दो फार्मों ने Tenders प्रक्रिया में भाग लिया। उसमें से एक M/S Atcone Engineer, मोहाली भी थी। दिनांक 03.07.2015 (Date of Opening of Tenders 06.07.2015) को अपने Tender में M/S Atcone Engineer, मोहाली ने उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु ₹427329.00 की लागत Quote की थी (परिशिष्ट-ग 2) जोकि सबसे कम होने के कारण और Negotiation के उपरान्त उन्हे यह कार्य निर्माण मण्डल के पत्र संख्या PD/HIMUDA/CB/A-15/2014-4123-30 Dt. 21.07.2015 द्वारा ₹424764 में आबंटित किया गया। अंकेक्षण में उपलब्ध अभिलेख की आपस में तुलनात्मक विश्लेषण करने पर पाया गया कि दिनांक 15.05.2015 को M/S Atcone Engineer, मोहाली ने इस निर्माण कार्य को करने हेतु ₹360300.00 Quote की थी और बाद

में दिनांक 03.07.2015 को Tender में ₹427329.00 की उच्च राशि Quote की थी। चूंकि यह दोनों ही प्रपत्र अभिलेख में उपलब्ध थे, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण मण्डल द्वारा उक्त फर्म से केवल औपचारिकता हेतु ही Negotiation की गई, क्योंकि जो कार्य वह फर्म दिनांक 15.05.2017 को ₹360300.00 में करने हेतु सहमत थी, उसी निर्माण कार्य को दिनांक 21.07.2015 को ₹424764.00 की उच्च राशि पर उस आबंटित कर दिया गया। जिसके कारण फर्म को ₹64464.00 (₹424764.00-₹360300.00) का अनुचित भुगतान किया गया प्रतीत होता है। अतः इस अनुचित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान की राशि की वसूली उचित माध्यम से सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

**10. वाऊचर संख्या 104 दिनांक 18.08.2015 ₹870162**

निर्माण कार्य का नाम	C/O Housing Colony at Trilokpur.(SH: C/o Road Earth Cutting and Retaining wall and home pipe)
संविदाकार का नाम	Sh.Jeet Singh Thakur.
अनुबंध सं.	53 of 2014-15
चलित बिल	3 <sup>rd</sup> Running Bill
Abstract of Cost MB	Page No. 65 से 69 of 2131
Record MB	Page No. 44 से 64 of 2131

**(क) गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹0.03 लाख का अधिक भुगतान**

उपरोक्त निर्माण कार्य के 3<sup>rd</sup> चलित बिल तक अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 1 “Excavation in soil in Hilly Area by mechanical means” का निष्पादन करने के लिए संविदाकार को ₹87 प्रति घन मी. की दर से 14997.98 घन मी. हेतु भुगतान किया गया था। इस कार्य मद का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गलत गणना के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹3354 का अधिक भुगतान किया गया था। जिसे या तो न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान की राशि की वसूली उचित माध्यम से सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये:-

Name of Item	Abstract of Cost MB/Page No.	Record MB/Page No.	Qty. paid to the Contractor	Qty as per Audit	Excess	Rate (₹)	Total Excess Payment (₹)
मद संख्या 1 i.e Excavation in soil in Hilly Area by mechanical means	2131, P.No. 66	2131, P.No. 44 to 64	14997.98 m <sup>3</sup>	14959.43 m <sup>3</sup>	38.55 m <sup>3</sup>	87 per m <sup>3</sup>	3356

**(ख) आबंटन पत्र में वर्णित शर्तों की अनदेखी करके संविदाकार को ₹3.70 लाख का भुगतान करने बारे।**

उपरोक्त निर्माण कार्य संविदाकार को निर्माण मण्डल के पत्र संख्या PD/HIMUDA/CB/A-15/2014-7734-41 Dt. 25.03.2015 द्वारा आबंटित किया गया था तथा आबंटन पत्र की शर्त संख्या (i) के अनुसार संविदाकार के 1<sup>st</sup> और 2<sup>nd</sup> चलित बिल से ₹185000 प्रति बिल की दर से कुल ₹370000.00 निर्माण मण्डल अपने पास withheld रखेगा और जिसे निर्माण कार्य पूर्ण होने के

उपरान्त संविदाकार को वापिस किया जाएगा (परिशिष्ट- घ) । अंकेक्षण में उपलब्ध अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि उपरोक्त शर्त के अनुसार संविदाकार के 1<sup>st</sup> और 2<sup>nd</sup> चलित बिल से ₹185000 प्रति बिल की दर से कुल ₹370000 की कटौती करके withheld तो की गई थी किन्तु इसे निर्माण कार्य पूर्ण करने की तिथि दिनांक 22.10.2015 (MB No. 2131 P.No. 70) से दो माह पूर्व ही निर्माण मण्डल द्वारा वाऊचर संख्या 103 दिनांक 18.08.2015 से संविदाकार को इस राशि का वापसी भुगतान कर दिया गया जोकि आबंटन पत्र की शर्तों की सरासर उल्लंघना है एवं अनियमित है क्योंकि ऐसा करके मण्डल खजाने की कीमत पर ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। अतः वर्णित अनियमितता को या तो न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इस भुगतान के लिए संबन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के अतिरिक्त व्याज आय की हुई हानी की भरपाई भी सुनिश्चित की जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

#### 11. वाऊचर संख्या 156 दिनांक 31.08.2015 ₹176676.00

निर्माण कार्य का नाम	C/O Housing Colony at Kala Amb(Moginand)
संविदाकार का नाम	Sh.Miter Singh.
अनुबंध सं.	35 of 2014-15
चलित बिल	3 <sup>rd</sup> Running Bill
Abstract of Cost MB	Page No. 74 से 100 of 2077
Record MB	Page No. 96 से 100 of 1539

(क) माप पुस्तिका में बिना RD की मात्रा दर्ज किए संविदाकार को ₹8045 का भुगतान किया जाना

उपरोक्त निर्माण कार्य के 3<sup>rd</sup> चलित बिल में अनुबंध की कार्य मद संख्या 2 i.e. **Excavation in earth work** के संदर्भ में संविदाकार को ₹130.00 प्रति घन मी. की दर से 54.99 घन मी. एवं अनुबंध की मद संख्या 13 i.e. **P/L CC kerb and channel drain section** के लिए ₹300/- प्रति RMT की दर से 372 RMT हेतु भुगतान किया गया था। इन कार्य मदों हेतु किए गए भुगतान का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों में संविदाकार को माप पुस्तिका में बिना RD दर्ज किए कुल ₹8045.00 का भुगतान किया गया था। जोकि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता हैं। अतः वर्णित अनियमितता को या तो न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा ऐसे किए गए भुगतान की वसूली उचित माध्यम से सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये:-

Item No. Name	MB No., P.No.	Qty. for which payment has been made	Rate	Total Amount Paid	Remarks
मद संख्या 2 i.e. Excavation in earth work	1539, P.No. 99	1/2X23X0.50X0.25= 1.44m <sup>3</sup>	130.00 per m <sup>3</sup>	187.20	RD not mentioned in the MB
	1539, P.No.98	1/220X0.50X0.25= 1.25 m <sup>3</sup>	130.00 per m <sup>3</sup>	162.50	RD not mentioned in the MB
	1539, P.No. 99(GI Pipe)	1X17X0.60X0.60= 6.12 m <sup>3</sup>	130.00 per m <sup>3</sup>	795.60	RD not mentioned in the MB
Item No. 13 i.e P/L CC kerb and channel drain	1539, P.No. 100	1X23 = 23RMT	300 per RMT	6900.00	RD not mentioned in the MB

section

**Total 8045.30**  
**Or say 8045.00**

**(ख) गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹2064 का अधिक भुगतान**

उपरोक्त निर्माण कार्य के 3<sup>rd</sup> चलित बिल में अनुबंध की कार्य मद संख्या 2 “Excavation in earth work” के निष्पादन हेतु संविदाकार को ₹130.00 प्रति घन मी. की दर से 54.99 घन मी. का भुगतान किया गया था। जिसका अंकेक्षण करने पर पाया गया कि GI Pipe (External) के संदर्भ में CPWD specification में निर्धारित चौड़ाई से अधिक चौड़ाई में खुदाई हेतु भुगतान किया गया था जबकि CPWD Specification Rule 20.6 Laying and Jointing of GI Pipes (External Work) में Trench की चौड़ाई एवं गहराई निम्न प्रकार से दी गई हैं।

Dia of Pipe(mm)	Width of trench(cm)	Depth of trench (cm)
15 to 50	30	60

यथानुसार 40mm Dia हेतु Trench की चौड़ाई 30cm होनी चाहिए थी जबकि MB 1539 P.No. 99 के अनुसार संविदाकार को 60cm चौड़ाई की खुदाई हेतु भुगतान किया था। अतः वर्णित अनियमितता के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹2064.00 का अधिक भुगतान किया गया था। जिसे या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान की राशि की वसूली उचित माध्यम से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये:-

MB No. P.No.	Qty Executed & Paid	Qty as per CPWD Specification	Excess Qty	Rate (₹)	Total Excess payment (₹)
1539, P.No. 99 for GI Pipe	1X40X0.60X0.60=14.40 m <sup>3</sup>	1X40X0.30X0.60=7.20 m <sup>3</sup>	7.20 m <sup>3</sup>	130.00	936.00
	1X31.20X0.60X0.60=11.23m <sup>3</sup>	1X31.20X0.30X0.60=5.61m <sup>3</sup>	5.62 m <sup>3</sup>	130.00	730.60
	1X17X0.60X0.60=6.12m <sup>3</sup>	1X17X0.30X0.60=3.06m <sup>3</sup>	3.06 m <sup>3</sup>	130.00	397.80
				<b>Total</b>	<b>2064.40</b>
				<b>Or Say</b>	<b>2064.00</b>

**12. वाऊचर संख्या 39 दिनांक 05.08.2015 ₹245868/-**

निर्माण कार्य का नाम	AR & MO Special Repair of Flat No. 42/A2, 50 Block 47, A-3, Sec-VI at Parwanoo
संविदाकार का नाम	M/s Kundan Lal and Hari Ram
अनुबंध सं.	06 of 2015-16
चलित बिल	1 <sup>st</sup> Running Bill
Abstract of Cost MB	Page No. 1 से 12 of 2261

**(क) गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹3391 का अधिक भुगतान**

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलित बिल का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुबंध की कार्य मद संख्या 16 “Marble Chips Skirting or Dado up to 30cm” की निष्पादित कार्य

प्रमात्रा की गलत गणना के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹3391 का अधिक भुगतान किया गया था जिसे या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये:-

MB No., P.No.	Item No.	Qty Executed & Paid in Sqm	Qty as per Audit in Sqm	Excess	Rate per Sqm	Total Excess payment
2261, P.No. 4	16	For Toilet 1X(2X1.40)+1.10+0.40)X2.53= 14.67m <sup>2</sup>	For Toilet 1X2(1.40)+1.10+0.40)X2.53= 10.87 m <sup>2</sup>	3.80 m <sup>2</sup>	825/-	3135.00
2261, P.No.5	16	For Toilet 1X(0.86+2X1.40+0.14)X2.25= 8.86m <sup>2</sup>	For Toilet 1X(0.86+2X1.40+0.14)X2.25= 8.55m <sup>2</sup>	0.31 m <sup>2</sup>	825/-	255.75
						<b>3390.75</b>
<b>Or say</b>						<b>3391.00</b>

(ख) अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 1 i.e 2<sup>nd</sup> Class Half Brick Masonary in Superstructure in CM 1:4 की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना हेतु गलत Unit लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹2198 का अधिक भुगतान

उपरोक्त निर्माण कार्य के संदर्भ में संविदाकार द्वारा भरा गया Tender, DNIT और Agreement, Award Letter (परिशिष्ट-ड) का अंकेक्षण में अवलोकन करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की मद संख्या 1 “2<sup>nd</sup> Class Half Brick Masonary in Superstructure in CM 1:4 की निष्पादित की जाने वाली कार्य प्रमात्रा की Unit घन मी. थी। किन्तु संविदाकार को भुगतान करते समय Unit वर्ग मी. ली गई थी। जोकि अनियमित है तथा इस के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार जोकि अनियमितता है तथा ₹2198 का अधिक भुगतान किया गया था। अतः वर्णित अनियमितता को या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की वसूली उचित माध्यम से सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये:-

MB No., P.No.	Item No.	Qty Executed & Paid in Sqm	Qty due as per Unit of Agreement in cum	Total Excess payment (₹)
2261, P.No.1	1	1X1.45X2.45= 3.55 m <sup>2</sup> X 700.00= 2485.00	1X1.45X2.45X0.115= 0.41 m <sup>3</sup> X 700.00= 287.00	2198.00

**13. वाऊचर संख्या 81 दिनांक 10.08.2015 ₹2715271/-**

निर्माण कार्य का नाम	C/o 10 Nos Cat-I Flats at Mandhala
संविदाकार का नाम	M/s AR Construction
अनुबंध सं.	10 of 2009-10
चलित बिल	6 <sup>th</sup> & Final Running Bill
Abstract of Cost MB	Page No. 53 से 94 of 2007

**12X12mm Square Bar हेतु गलत conversion Factor लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹ 1150 का अधिक भुगतान**

अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 27 “P/F MS Grill of required Pattern” की निष्पादित एवं संविदाकार को भुगतान की गई कार्य मात्रा का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि 6<sup>th</sup> एवं

अंतिम चलित बिल में (MB No. 2116 पृ.सं.31 से 33) 12X12 mm Square Bar का **Conversion factor 1.14kg per** वर्ग मीटर लिया गया था जबकि निर्माण के लिए तय मापदण्डों के अनुसार यह **1.13kg per** वर्ग मीटर लिया जाना चाहिए था। इस अनियमितता के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹1150 का अधिक भुगतान किया गया था जिसे या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान की राशि की वसूली उचित माध्यम से सुनिश्चित करते हुये कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये:-

Abstract of Cost MB/P.No.	Qty. of 12X12 Sqr Bar in RMT	Conversion Factor taken per RMT	Conversion factor to be taken as per Rules per RMT	Excess conversion factor taken per RMT	Total Excess Qty paid (Kg)	Rate as per agreement (₹)	Total Excess payment (₹)
2007 P.No.66	2210.60	1.14kg per RMT	1.13 Kg per RMT	0.01Kg per RMT	22.11KG	52/- per KG	1149.72 or say 1150/-

**14. वाऊचर संख्या 156 दिनांक 31.08.2015 ₹176676.00**

निर्माण कार्य का नाम	Improvement of existing WSS of PWN Township (SH: C/O Laboratory lock Dosing Room cum Pump House )
संविदाकार का नाम	Sh.Guman Singh Chauhan.
अनुबंध सं.	49 of 2014-15
चलित बिल	1 <sup>st</sup> to 2 <sup>nd</sup> Running Bill
Abstract of Cost MB	Page No. 1 से 16 of 2252
Record MB	Page No. 1 से 22 of 2251

आवश्यकता से अधिक सीमेंट एवं स्टील जारी किए जाने और उसकी रिकवरी न किए जाने के कारण संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान करना

उपरोक्त निर्माण कार्य के संदर्भ में माप पुस्तिका संख्या 2252 पृ.सं. 5 पर दर्ज प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि 1<sup>st</sup> चलित बिल तक संविदाकार को निम्न विवरणानुसार सीमेंट और स्टील की मात्रा आवश्यकता से अधिक जारी की गई प्रतीत होती हैं जबकि अनुबंध की क्लॉज़ 42(i) में स्पष्ट है कि **“The Contractor shall see that only the required quantities of materials are issued.”** अनुबन्ध कि वर्णित क्लॉज़ की अनदेखी करते हुये सीमेंट और स्टील की कार्य मदों के निष्पादन हेतु आवश्यकता से अधिक सीमेंट व स्टील की मात्रा जारी किया जाना अनियमित हैं क्योंकि ऐसे में सीमेंट व स्टील के दुर्विनियोजन कि संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अतः वर्णित अनियमितता को तथ्यों सहित स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से नियमित करवाया जाये

तथा भविष्य में उक्त क्लॉज़ की अनुपालना करते हुये कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये:-

Sr.No.	Indent No.	Qty of Cement	Tor 8mm(in Qtl)	Steel Tor 10mm(in Qtl)	Steel Tor 16mm(in Qtl)
1	2249 Dt. 06.04.2015	140 Bags	3.90Qtl	3.00Qtl	12.40Qtl
2	2233 Dt. 14.05.2015	100 Bags			
3	2235 Dt. 21.05.2015	50 Bags	2.80Qtl	3.10Qtl	
4	2242 Dt. 03.06.2015	100 Bags			
	Total	390 Bags	6.70Qtl	6.10Qtl	12.40Qtl
	Consumption & Recovery up to 1 <sup>st</sup> Running Bill	270 Bags	3.25Qtl	4.10Qtl	3.41Qtl
	<b>Balance</b>	<b>120 Bags</b>	<b>3.45Qtl</b>	<b>2.00Qtl</b>	<b>8.99Qtl</b>

**15. वाऊचर संख्या 163 मास 25.07.2013 ₹10,00,000.00**

**समायोजित वाऊचर संख्या 79 दिनांक 07.08.2015**

निर्माण कार्य का नाम Development of Housing Colony at Mandhala

संविदाकार का नाम M/S All Grace Engineer

**नियमों की अनदेखी करके “Work Done and Measured” के बदले में ₹10.00 लाख का अग्रिम प्रदान कर संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान करना**

CPWD Works Manual 2010 के Section 32.1(1)(vi) Advance Payment for work done and measured के अनुसार “Advance payments to Contractors against on account bills received in the Divisional Office may be made by the Divisional Officers, on receipt of an application from the contractor for financial aid in the shape of part payment, shall make a lump-sum advance payment on Hand Receipt Form 28, subject to the following conditions:

**(i) Grant of a 2<sup>nd</sup> advance before the first one has been recovered shall not be permitted.**

उपरोक्त अग्रिम से भुगतान का अंकेक्षण में करने पर पाया गया कि संविदाकार को “Work Done and Measured” के आधार पर प्रथम अग्रिम वाऊचर संख्या 98 दिनांक 12.07.2013 द्वारा ₹50,00,000.00 (परिशिष्ट- च-1) की राशि प्रदान की गई थी तथा इस अग्रिम को पूर्ण समायोजित किए बिना ही वाऊचर संख्या 163 दिनांक 07/2013 द्वारा ₹10,00,000.00 (परिशिष्ट- च-2) की राशि दूसरी बार अग्रिम के रूप में संविदाकार को प्रदान कर दी गई। वैसे वर्णित दोनों अग्रिम 40<sup>th</sup> और अंतिम चलित बिल दिनांक 07.08.2015 को माप पुस्तिका संख्या 2163 पृ. संख्या 49 और 51 पर

समायोजित किए गये थे किन्तु उक्त **Section 32.1(1)(vi)** के प्रावधानों की अनदेखी करके संविदाकार को प्रथम अग्रिम की पूर्ण राशि को समायोजित किए बिना ही ₹10,00,000 का अग्रिम प्रदान करके निर्माण मण्डल की कीमत पर अनुचित लाभ दिया गया है जिसे या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उच्च सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाकर कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**16. नियमों की अनदेखी करके “Work Done But Not Measured” के बदले में ₹20.75 लाख का अग्रिम प्रदान करके संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान करना**

CPWD Works Manual 2010 के Section 32.2(1)(a) Advance Payment for work done but not measured के अनुसार “ Advance to Contractors are, as a rule, prohibited and payments to Contractors should not be made until detailed measurements of the work have been taken and recorded. Advance payments may, however, be made in cases of real necessity, when it is essential to do so, and in such cases previous sanction of the Superintending Engineer concerned should invariably be obtained.

चयनित माह 8/2015 के दौरान भुगतान किए गए विभिन्न निर्माण कार्यों से संबन्धित चलित बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि विभिन्न संविदाकारों को “**Work Done But Not Measured**” के आधार पर अग्रिम प्रदान किया गया था। किन्तु अग्रिम प्रदान किए जाने से पूर्व उक्त वर्णित **Section 32.2(1)(a)** के अंतर्गत **Superintending Engineer, Himuda** की अपेक्षित अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। इस प्रकार उपरोक्त नियम की अनदेखी करके संविदाकारों को निम्न विवरणानुसार ₹2075000 का अग्रिम प्रदान करके निर्माण मण्डल की कीमत पर अनुचित लाभ प्रदान किया गया जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः वर्णित अनियमितता को या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए। अन्यथा इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति (Ex-postfacto Sanction) प्राप्त करके नियमित करवाया जाना सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

<b>Detail of Advance granted to Contractors for Work Done But Not Measured</b>								
<b>Sr. No.</b>	<b>Name of Work,Agreement No.</b>	<b>Detail of Advance</b>		<b>Detail of Measurement</b>		<b>Detail of Adjustment of Advance</b>		<b>Remarks</b>
		<b>Vr.No. &amp; Date</b>	<b>Amount of Advance Granted</b>	<b>Date</b>	<b>Record MB No. &amp; Page No.</b>	<b>Vr No.</b>	<b>Date</b>	
1	A/R & M/O Special Repair of Flat No. 42/A2 at Parwanoo Agreement No. 06 of 2015-16	144, 26.05.2015	75000	10.05.2015	2261, P.No. 1	39	05.08.2015	Prior Approval of SE HIMUDA not in record.
2	C/O 10 Nos Cat-I Flats at Mandhala, Agreement No. 10 of 2009-10	131, 26.12.2013	1100000	10.07.2015	2007 P.No. 53	81	10.08.2015	Prior Approval of SE HIMUDA not in

								record.
3	C/O HC at Trilokpur Agreement No. 53 of 2014-15	81, 15.07.2015	500000	28.07.2015	4076, P.No. 44	105	18.08.2015	Prior Approval of SE HIMUDA not in record.
4	C/o Sr.Sec.School Building at Masulkhana , Agreement No. 23 of 2014-15	57, 06.06.2015	400000	10.07.2015	2238, P.No. 32	151	27.08.2015	Prior Approval of SE HIMUDA not in record.
	Total		<b>2075000</b>					

**17. ₹305.93 लाख के निर्माण कार्यों को समय अवधि के अनुसार पूर्ण न करना**

अंकेक्षण को अधियाचना संख्या 379/2017 दिनांक 14.03.2017 के प्रतिउत्तर में अधिशाषी अभियंता ने परिशिष्ट-छ द्वारा उन सभी निर्माण कार्यों की सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई जोकि दिनांक 31.03.2016 तक पूर्ण किए जाने थे किन्तु जिनका निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया जा सका और उनका मूल्य ₹30592932 था। निर्माण कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण न किए जाने से जहाँ एक ओर निर्माण कार्यों की निर्माण लागत में भी बढ़ौतरी होती है, वही दूसरी ओर यह निर्माण मण्डल की कार्य कुशलता एवं कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने की क्षमता पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। अतः वर्णित निर्माण कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण न किए जाने का सम्पूर्ण प्रकरण उच्च प्राधिकारियों के विशेष ध्यान में शीघ्र आगामी उचित कार्यवाही अमल में लाये जाने हेतु लाया जाता है।

**18. E.Tendering के माध्यम से आबंटित किए गए निर्माण कार्यों का उनकी Awarded Cost और Estimated cost/Threshold Value का प्रतिशत Manual Tendering की तुलना में कम होने के कारण सभी निर्माण कार्यों को E-Tendering के माध्यम से आबंटित किए जाने बारे।**

हिमुडा के पत्र संख्या HIMUDA/CE/Design/ e-procurement/2013 दिनांक 7-8-2013 के अनुसार ₹40 लाख से अधिक के निर्माण कार्य हेतु E-Tendering के माध्यम से कार्य का आबंटन किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान Tender Allotment रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015 -16 के दौरान जो निर्माण कार्य E-Tendering के माध्यम से आबंटित किए गए थे उनकी Awarded Cost और Estimated cost/Threshold Value का प्रतिशत Manual Tendering की तुलना में कम था। E-Tendering के माध्यम से आबंटित किए गये निर्माण कार्यों की Awarded Cost और Estimated cost/Threshold Value का प्रतिशत 9.31% से 16.48% **Above** था जबकि अन्य निर्माण कार्य जो Manual Tendering के माध्यम से आबंटित किए गये थे, का प्रतिशत 34.65% से 53.65% **Above** था। जिससे स्पष्ट विदित होता है कि जो निर्माण कार्य E-Tendering के

माध्यम से आबंटित किए जा रहे हैं उनका आबंटन मूल्य Manual Tendering की तुलना में कम था । अतः यह मामला हिमुड़ा के उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस आशय के साथ लाया जाता है कि निर्माण मण्डल के सभी निर्माण कार्य का आबंटन हेतु E-Tendering प्रणाली के अंतर्गत किया जाने की सम्भावना को तलाश किया जाए ताकि निर्माण कार्य का आबंटन कम दर पर होने पर निर्माण कार्य की लागत कम हो सके: -

Sr. No.	Name of Work	Year of Allotment	Estimated Cost/Threshold Value	Awarded Amount	% Above or Below the Estimated Cost/Threshold Value	Type of Tender
1	C/o Pollution Control Board Office Building Subhkhara	2015-16	7825426	9046438.35	15.60% Above	E-Tender
2	C/O 49 Nos School Building (SH:Computer Room, Science Lab Library at GSSS Toka Distt. Sirmour)	2015-16	7313749	8636548.23	18.09% Above	E-Tender
3	C/O 32 Nos Cat-I Flats under SFS in Sec-V at Parwanoo Distt Solan (Sh: Addition	2015-16	7951197	8691579.20	9.31% Above	E-Tender
4	C/O Commercial Complex with Parking Near PNB at PWN Distt. Solan	2015-16	12226293	14241445.57	16.48% Above	E-Tender
5	Repair Work of the N/R Building 6th IRBN Distt Sirmour	2015-16	447765	677730.08	51.36% Above	Manual
6	C/O 49 Nos School Building (SH: C/O Art Craft Cultrul Library Room at GHS at Sarahn Distt Sirmour)	2015-16	1005802	1439026.32	43.07% Above	Manual
7	C/O 49 Nos School Building (SH: C/O 2 Nos Class Room at GHS at Kathwar Distt Sirmour)	2015-16	2589874	3978661.80	53.62% Above	Manual
8	A/R & M/O to Staff Quarter (SH: Prov Roofing with Pre-Painted Sheets on Block No 4 and B-4 Flat of Block No. 3 )	2015-16	489365	751580.06	53.58% Above	Manual
9	C/O HC at Baddi Distt. (SH:C/O 3 Nos Entrance Gate & Care Taker Rooms in Ph-I & II)	2015-16	452469	609269.97	34.65% Above	Manual

19. ब्रिक वर्क की निष्पादित कार्यमात्रा में से होल्ड फास्ट के लिए बनाए गए कंक्रीट ब्लाक की कार्य मात्रा को कम न करने के कारण संविदाकार को ₹0.12 लाख का अधिक भुगतान

अनुबंध की कार्य मद P/F 40X3mm Flat Iron Hold Fast in CC Block 0.30mX0.10mX0.15m in CC 1:3:6 और कार्य मद Brick Work using 2<sup>nd</sup> Class in super structure की माप पुस्तिका में दर्ज रिकार्ड प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दरवाजे की फ्रेमों को लगाने के लिए आयरन के होल्ड फास्टों का प्रयोग व भुगतान किया गया था तथा इन होल्ड फास्टों को ईंट की दीवार में लगाने के लिए 1:3:6 सीमेंट कंक्रीट ब्लाक साईज 0.30mX0.10mX0.15m बनाने का प्रावधान था तथा होल्डफास्टों को लगाने के लिए अनुबंध में अलग कार्य मद का प्रावधान व तदानुसार संविदाकार द्वारा भरी गई दरों से भुगतान किया गया था। किन्तु वर्णित होल्डफास्ट को लगाने के लिए दीवारों में बनवाए गए सीमेंट कंक्रीट ब्लाक की मात्रा को ब्रिकवर्क की कार्यमात्रा से कम नहीं किया गया था जबकि कार्य सपसीफिकेशन (ब्रिकवर्क) के अनुसार 0.10 वर्गमी. के क्षेत्रफल की ओपनिंग इत्यादि के लिए न तो ब्रिकवर्क में से भुगतान हेतु घटाया जाता है और न ही उस ओपनिंग में करवाए गए कार्य का अलग से भुगतान किया जाता है। इस प्रकार सीमेंट कंक्रीट के कार्य की मात्रा को ब्रिक की कार्य मात्रा में से कम नहीं किया गया और होल्डफास्ट के भुगतान में सीमेंट कंक्रीट के ब्लाक का भुगतान कर दिया गया। जिसके कारण होल्डफास्ट में प्रयोग सीमेंट कंक्रीट के ब्लाक की कार्य मात्रा का दोबारा भुगतान किया गया। जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः इस अनियमितता के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹11736/- का अधिक भुगतान किया गया जिस को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान की राशि की वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करते हुये कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

Name of work	No. Hold Fast Paid , MB No. P.No.	Qty of Brick Work which was paid twice to the Contractor in m3	Rate of Brick Work Per m3	Total Amount
Repair Work of the N/R Building of 6 <sup>th</sup> IRBN (Nahan)(Agreement No. 4 of 2015-16)	22 (MB No. 714 P.No. 89)	0.30X0.15X0.10 X22= 0.099m3	5355.00	530.00
Improvement of existing WSS of PWN Township (SH: C/O Laboratory lock Dosing Room cum Pump House )(Agreement No. 49 of 2014-15)	46 (MB No. 2252 P.No. 12)	0.30X0.15X0.10 X46= 0.207m3	5300.00	1097.00
C/o 10 Nos Cat-I Flats at Mandhala(Agreement No. 10 of 2009-10)	1040 (MB NO. 2007 P.No. 66)	0.30X0.15X0.10 X1040= 4.68 m3	2160.00	10109.00
	<b>Total</b>			<b>11736.00</b>

20. वीप होल्स की निष्पादित कार्य प्रमात्रा को आर. आर. मैसनरी की कार्य प्रमात्रा से न घटाने के कारण संविदाकार को ₹0.27 लाख का अधिक भुगतान

मान्य निर्माण मापदण्डों के अनुसार आर. आर. मैसनरी के भुगतान के समय आर. आर. मैसनरी की देय मात्रा मे से वीप होल्स हेतु प्रयोग 100mm पी.वी.सी. पाईप के आयतन के बराबर की कार्य मात्रा की कटौती की जानी अपेक्षित थी जहां वीप होल्स की अलग कार्य मद बनाकर ठेकेदार को भुगतान किया गया हो क्योंकि वीप होल्स को लगाने के स्थान पर आर. आर. मैसनरी की मात्रा प्रयोग नहीं की जाती। निम्न वर्णित निर्माण कार्यों के विभिन्न चलित बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि आर. आर. मैसनरी की देय कार्य मात्रा में से 100mm पी.वी.सी. पाईप के आयतन के बराबर की कार्य मात्रा कटौती नहीं की गई थी जबकि ठेकेदार को वीप होल्स का अलग से भुगतान किया गया था। अतः इस अनियमितता के कारण संविदाकारों को निम्न विवरणानुसार ₹27123.00 का अधिक भुगतान किया गया था। जिसे नियमानुसार या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान की राशि की वसूली संविदाकार से सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाय:-

Name of Work	Runni ng Bill No.	MB No. /P. No.	Qty. of Weep Hole Paid	Qty. of Weep hole in cubic metre that should be deducted from the Qty. of RR Masonry	Rate of RR Masonry Paid to Contractor per cubic metre	Total Excess payment paid to Contractor
A/R & M/O WSS PWN(SH: Development of site for proposed Laboratory Block dosing cum Pump House at Kamali) Agreement No. 51 of 2014-15	1 <sup>st</sup> to 4 <sup>th</sup>	2243 P.No. 34	337.24RMT	2.64घन मी. [22/7X0.05X0.05X337.24 RMT]	₹5075 प्रति घन मी.	₹13398/- [2.64घन मी. X ₹5075]
C/o 32 No. Cat-I Flat i.e Approach Road Agreement No. 27 of 2014-15	6 <sup>th</sup>	2241 P.No. 91	388.50RMT	3.05घन मी. [22/7X0.05X0.05X388.50 RMT]	₹4500 प्रति घन मी.	₹13725/- [3.05घन मी. X ₹4500]
					<b>Total</b>	<b>27123.00</b>

**21. निर्माण कार्य हेतु प्रयोग में लाई गई लकड़ी के क्रय बिल एवं अन्य प्रमाण इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना**

अनुबंध की General Specification & Conditions की क्रम संख्या 13 पर वर्णित शर्त के अनुसार “The contractor shall have to purchase the timber to be used on works from an authorized dealer/agency and he would produce necessary receipts/vouchers as a proof before releasing the payment of the wood work”

निम्नलिखित निर्माण कार्यों के लिए अनुबंध की कार्य मद “Providing wood work in frames of Doors, windows etc.” के निष्पादन हेतु संविदाकारों को भुगतान किया गया था किन्तु इस मद के निष्पादन हेतु प्रयोग में लाई गई लकड़ी की खरीद के संबंध में संविदाकारों द्वारा प्रस्तुत कोई बिल इत्यादि अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख में मौजूद नहीं थे। जिससे संशय उत्पन्न होता है कि उपरोक्त वर्णित शर्त के अनुसार निर्माण कार्य के लिए प्रयोग में लाई गई लकड़ी के खरीद बिल इत्यादि प्रस्तुत किए बिना ही लकड़ी के कार्य हेतु संविदाकार को भुगतान कर दिया गया जोकि अनियमित है। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट

किया जाए। अन्यथा इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाने के साथ-2 भविष्य में अनुबंध की उपरोक्त वर्णित शर्त अनुसार लकड़ी के कार्य हेतु भुगतान करने से पूर्व लकड़ी की खरीद से संबंधित अभिलेख संविदाकारों से लिया जाना भी सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए:-

Name of Work	Name of Item	Runni ng Bill No.	MB No. /P. No.	Qty. of Wood work paid
HIG III SHC-Nalagarh Agreement No. 7 of 2015-16	Prov wood work in Frames P/F 40mm Thick door Shutter	1 <sup>st</sup>	2230 , 35	0.118m <sup>3</sup> 3.52m <sup>2</sup>
AR & MO Special Repair of Flat Sector-VI Agreement of 06 of 2015-16	Prov wood work in Frames P/F 40mm Thick door Shutter	1 <sup>st</sup>	2261, 7	0.504 m <sup>3</sup> 39.43 m <sup>2</sup>
C/o Sr Sec School Building at Masurkhana, Agreement No. 23 of 2014-15	Prov wood work in Frames P/F 40mm Thick door Shutter	3 <sup>rd</sup> & 4 <sup>th</sup>	2244, 24 2238,76	1.877 m <sup>3</sup> 20.10 m <sup>2</sup>
Repair of Building 6 <sup>th</sup> IRB at Nahan, Agreement No. 4 of 2015-16	Prov wood work in Frames P/F 40mm Thick door Shutter	3 <sup>rd</sup>	714, 87 714,88	0.29 m <sup>3</sup> 13.12 m <sup>2</sup>

22. विभिन्न निर्माण कार्यों की अनुबंधित कार्य प्रमात्रा से अत्याधिक कार्य प्रमात्रा का निष्पादन करने के परिणामस्वरूप विभिन्न संविदाकारों को ₹14.77 लाख का अनियमित भुगतान।

निम्नलिखित निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आबंटन पत्र की शर्त के अनुसार “No deviation Extra, Substituted item is permissible at site without the prior written approval of the Competent Authority”. किन्तु निम्न वर्णित निर्माण कार्यों से संबंधित विभिन्न चलित बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के Extra और Substituted Items का निष्पादन एवं ठेकेदार को भुगतान किया जा चुका था जो कि अनुबंध की उक्त मान्य शर्तों का सीधा उल्लंघन होने के कारण अनियमित है। अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए। अन्यथा इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित करते हुये। कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत जाए:-

निर्माण कार्य का नाम	कार्य मद का संक्षिप्त नाम	माप पुस्तिका/पृ. सं	किए गए कार्य की मात्रा	भुगतान दर (₹)	किया गया भुगतान (₹)
P/L Alternative Rising main 250mm Dia MS Pipe Kamlai to Storage Tank in Sec-I,Parwanoo Agreement No. 42 of	P/L MSERW 150 mm dia	2256, 12	293RMT	1317 Per Rmt	385881
	P/L MSERW Pipe to make Bent 150mm Dia with Flang Table 17	2256, 12	10 Nos	1791 each	17910

2014-15	P/L MSERW Pipe to make Pipe Bend 250mm Dia with Flange Table-11	2256, 13	41 Nos	4542 each	186222
	P/L Cast Steel Valve 250mm dia	2256, 13	1 No	187500 each	187500
	P/F Sulice Valve 150mm dia	2256, 13	2 Nos.	68250 each	136500
C/O GSSS Panog & Rohnat Agreement No. 23 of 2014-15	P/L 1:5:10 with 15% Plum Concrete in R.wall & B.Wall	2264, 4	183.45m <sup>3</sup>	3068 Per cum	562824
				<b>Total</b>	<b>1476837</b>

**23. नियमों के प्रतिकूल संविदाकार/ठेकेदारों को ₹32.49 लाख का अधिक Secured Advance स्वीकृति करके अनुचित लाभ प्रदान करना**

अनुबन्ध की धारा 10B के अनुसार संविदाकार/ठेकेदार को 75% of Cost of Material का Secured Advance प्रदान किया जा सकता है। चूंकि अनुबन्ध कार्य मद के Tendered Rate के दो भाग होते हैं 25% Labour Portion और शेष 75% Material Portion इसलिए उपरोक्त वर्णित धारा के अनुसार संविदाकार को अनुबन्ध कार्य मद के 75% Material Portion के 75% के बराबर Secured Advance दिया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु संबन्धित संविदाकारों को प्रदान किए Secured Advance का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निर्माण मण्डल द्वारा परिशिष्ट ज में वर्णित प्रकरणों में उपरोक्त वर्णित नियम की अनदेखी करके ₹3249035 का Secured Advance देय राशि से अधिक प्रदान करके ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः नियमों के विपरीत संविदाकारों/ठेकेदारों को देय राशि से अधिक Secured Advance प्रदान करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसे सक्षम प्राधिकारी कि स्वीकृति से नियमित करवाया जाए और भविष्य में नियमानुसार ही Secured Advance का भुगतान सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**24. दिनांक 31.03.2016 को Service Tax से संबन्धित ₹27.59 लाख का Custom & Central Excise Deptt. में जमा करवाने हेतु शेष पाया जाना :**

संविदाकारों के चलित बिलों से नियमानुसार Service Tax की कटौती की गई थी जिसमें से दिनांक 31.3.16 को ₹2758552/- Custom & Central Excise Deptt. में जमा करवाने हेतु शेष थी इसके अतिरिक्त अंकेक्षण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि Service Tax की कटौती की गई राशि को संबन्धित विभाग में विलम्ब से जमा करवाया जा रहा था जोकि अनियमित है। अतः परामर्श दिया जाता है कि Service Tax की संविदाकारों के चलित बिलों से कटौती करने के उपरांत नियमानुसार निर्धारित समय के भीतर राशि को संबन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी प्रकार के विलम्ब शुल्क (Panality) से बचा जा सके।

**25. श्रेणी-4 के कर्मचारियों को 20 वर्ष की सेवा अवधि के उपरांत अतिरिक्त वेतन वृद्धि का गलत लाभ प्रदान करने के कारण लगभग ₹ 2.03 लाख के वेतन व भत्तों का अनियमित भुगतान करना**

अंकेक्षण के दौरान कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका व वेतन बिलो का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित श्रेणी-4 के कर्मचारी, जो कि श्रेणी -3 के वेतनमान में वेतन आहरण कर रहे थे, को 20 वर्ष की सेवा अवधि के उपरांत एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया गया जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। क्योंकि वित्त विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के ज्ञापन संख्या फिन (सी) बी (7)-3/2012 दिनांक 15.12.2012 द्वारा जारी अनुदेश /स्पष्टीकरण अनुसार उक्त लाभ तभी देय होगा यदि संबन्धित कर्मचारी देयता तिथि को श्रेणी-4 के वेतनमान में वेतन आहरण कर रहा हो। अतः इस अनियमितता के कारण परिशिष्ट झ में दिये गए विवरणानुसार निम्न वर्णित कर्मचारियों को अवधि 31.03.2017 तक ₹203444/- के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया जा चुका था। इस संदर्भ में इस अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 384/2017 दिनांक 24.03.2017 से अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक अधिशासी अभियंता से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः ₹203444 के अधिक भुगतान को या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वेतन संशोधन उपरान्त देय राशि की संबन्धित उचित स्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए: -

Sr.No	Name & Designation of employee	Period for which excess payment made	Amount of excess payment	Remarks
1	Bahadur Singh, Clerk	1.9.12 to 31.3.2017	49535	Detail attached at Annexure झ
2	Smt.Hem Lata, Peon	1.8.12 to 31.8.2016	43342	
3	Sh.Balbir Singh, Clerk	1.8.12 to 31.3.2017	55739	
4	Sh.Puran Sukh, Peon	1.8.12 to 30.11.2015	33580	
5	Sh.Kanshi Ram, Chowkidar	1.4.15 to 31.3.2017	21248	
<b>Total</b>			<b>203444</b>	

26. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा निवृत्त उपदान(ग्रेचुइटी) की गलत गणना के कारण ₹0.28 लाख का अधिक भुगतान

हिमुडा के पत्र संख्या 3-394/80-20062-65 दिनांक 23.4.2016 एवं 3-444/81- Admn दिनांक 29.6.2016 के अनुसार श्री मति हेम लता, चपरासी एवं श्री पूरन सुख, चपरासी को सेवा निवृत्त उपदान की राशि स्वीकृत एवं भुगतान की गई थी परन्तु अंकेक्षण के दौरान श्री मति हेम लता चपरासी और श्री पूरन सुख चपरासी के वेतन निर्धारण में उक्त वर्णित पैरा संख्या 25 में वर्णित गलत वेतन निर्धारण के कारण उनको देय ग्रेचुइटी की राशि भी प्रभावित हुई है तथा निम्न विवरणानुसार उन्हें ₹28001 का अधिक भुगतान हुआ है। इस संदर्भ में इस अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 385/2017 दिनांक 24.03.2017 द्वारा अधिशासी अभियंता से अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे में उनसे कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः ₹ 28001 के अधिक भुगतान को या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित राशि की संबन्धित उचित स्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए: -

Name of Retired Employee	Basic pay +Grade pay on which	Basic pay +Grade pay as per audit	Net qualifying service	Amount of Gratuity actually	Amount of Gratuity due as per Audit	Excess paid (₹)
--------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------

	Gratuity Sanctioned (₹)	without 20 years increment (₹)		sanctioned	(₹)	
Smt. Hem Lata, Peon	13670+1900=15570	13210+1900 = 15110	66 half years	578045	15110x 127%= 34300x 66/4= 565950	12095
Sh. Puran Sukh, Peon	13210+1900=15110	12770+1900 = 14670	66 half years	546002	14670x 119%= 32127x 66/4= 530096	15906
<b>Total</b>						<b>28001</b>

**27. वेतन निर्धारण की त्रुटि के कारण श्री पूरन सुख चपरासी(सेवा निवृत्त) को नगद अर्जित अवकाश (Leave Encashment) ₹ 0.09 लाख का अधिक भुगतान**

हिमुडा के पत्र संख्या 3-444/81- Admn दिनांक 29.6.2016 के अनुसार श्री पूरन सुख,चपरासी(सेवा निवृत्त) को ₹323189 नगद अर्जित अवकाश के रूप में भुगतान की गई थी अंकेक्षण के दौरान श्री पूरन सुख चपरासी (सेवा निवृत्त) के वेतन निर्धारण में उक्त पैरा संख्या 25 में वर्णित के कारण उनको देय नगद अर्जित अवकाश की राशि भी प्रभावित हुई है तथा निम्न विवरणानुसार उन्हें ₹9415 का अधिक भुगतान हुआ है। अतः ₹9415/- के अधिक भुगतान को नियमानुसार या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित राशि की संबन्धित उचित स्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुये कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

Basic pay +Grade pay on which leave Encashment Sanctioned (₹)	Basic pay +Grade pay without 20 years increment (₹)	days of Earned leave credit at the time of Retirement (₹)	Amount of leave encashment given actuaaly sanctioned (₹)	Amount of leave encashment due as per Audit (₹)	Excess payment (₹)
13210+1900=15110	12770+1900 = 14670	293	323189	14670x 119%= 32127x293/300= 313774	9415

**28 मकान किराया भत्ते के रूप में कर्मचारियों ₹0.13 लाख का अनियमित भुगतान**

नियमानुसार यदि के पति, पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हों और एक ही मकान में रहते हों तो मकान किराए भत्ते का मासिक भुगतान विकल्पानुसार किसी एक कर्मचारी को किया जाएगा। जिसके लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा मकान किराए भत्ते का भुगतान करने से पूर्व पति एवं पत्नी का संयुक्त घोषणा पत्र जो कि उनके विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित हो प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। किन्तु निर्माण मण्डल के वेतन बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों के प्रकरण में इस नियम का पूर्णतया पालन नहीं किया गया था तथा अपेक्षित घोषणा पत्र प्राप्त किए बिना ही अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017 तक के दौरान इन कर्मचारियों को ₹13200.00 का मकान किराये भत्ते के रूप में भुगतान किया गया जोकि अनियमित है। अतः इस सम्बन्ध में उपरोक्त नियम का पूर्णतया पालन करते हुए मकान किराए भत्ते का प्रमाण पत्र

संबन्धित कर्मचारियों से प्राप्त किया जाये और आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा मकान किराया भत्ते के अनियमित भुगतान की राशि की वसूली करके कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए:-

कर्मचारी का नाम व पदनाम	कर्मचारी के पति/पत्नी का नाम	विभाग जिसमें पति/पत्नी कार्यरत है	मकान किराए भत्ते की भुगतान की गयी राशि	अवधि
Sh.Naresh Kumar	Smt. Shashi Prabha	HP Education Department.	13200	01.04.2014 to 31.03.2017
<b>कुल योग</b>			<b>13200</b>	

## 29 ₹0.50 लाख के यात्रा भत्ते दावे का अनियमित भुगतान

यात्रा भत्ते दावे के वर्ष 2015-16 के व्यय वाऊचरों का अवलोकन करने पर पाया गया कि हिमुडा निर्माण मण्डल परवाणु के सहायक अभियन्ताओं को सरकारी यात्रा हेतु व्यक्तिगत वाहन के उपयोग करने पर यात्रा भत्ते दावे के रूप में ₹50316 का भुगतान किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या हिमुडा 5-439/2005, दिनांक 16.02.2005 द्वारा जारी अनुदेशों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है क्योंकि वर्णित अनुदेशों के अनुसार सहायक अभियन्ता को सरकारी कार्य हेतु व्यक्तिगत वाहन उपयोग करने से पूर्व संबन्धित अधिशाषी अभियन्ता से पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक था, जोकि निम्न प्रकरणों में प्राप्त नहीं की गई थी। अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये इसे सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए अन्यथा अनियमित भुगतान की संबन्धित से वसूली सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

Name of Journal Assistant Engineer	Voucher No.	KM which Claimed & Paid	for TA is per KM	Total Amount	Remarks
Shri Joginder Singh	5 of 08/2015	1064	6.00	6384.00	Journey from Nahan to different places & Back, for the month of 05/2015
	01 of 12/2015	770	6.00	4620.00	Journey from Nahan to different places & Back, for the month of 08/2015
	01 of 12/2015	1258	6.00	7548.00	Journey from Nahan to different places & Back, for the month of 09/2015
	01 of 07/2015	884	6.00	5304.00	Journey from Nahan to different places & Back, for the month of 04/2015
	03 of 02/2016	640	6.00	3840.00	Journey from Nahan to different places & Back, for the month of 12/2015
	03 of 02/2016	1030	6.00	6180.00	Journey from Nahan to different places & Back, for the month of 11/2015

03 of 02/2016	750	6.00	4500.00	Journey from Nahan to different places & Back, for the month of 10/2015
05 of 09/2015	1000	6.00	6000.00	Journey from Nahan to different places & Back, for the month of 06/2015
05 of 09/2015	990	6.00	5940.00	Journey from Nahan to different places & Back, for the month of 07/2015

**Total 50316.00**

**30 सब-डिविजन परवाणु के 10mm Steel के संदर्भ में संबन्धित Bin Card और Store Indent में जारी की गई मात्रा में अन्तर के कारण 0.90MT स्टॉक शेष कम दर्शाया जाना :-**

लेखांकन के मान्य नियमों के अनुसार Bin Card में जारी(Issue) दर्शाई गई मात्रा Store Indent में दर्शाई गई मात्रा से मेल (Tally) होनी चाहिए। परवाणु सब-डिविजन के 10mm Steel के स्टॉक से संबन्धित लेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि संबन्धित बिन कार्ड और Store Indent में जारी की गई मात्रा में 0.90MT का अन्तर था। जिसके कारण निर्माण मण्डल के 10mm steel के अन्तिम शेष को निम्न विवरणानुसार अनुसार से कम दर्शाया गया। जिसका मूल्य निर्गम दर अनुसार ₹4579.47 था। अतः इस अन्तर को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस अन्तर हेतु 4579.47 की वसूली उचित माध्यम से सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

Bin Card No.	Date of Issue	Qty in Bin Card as shown issued to contractor	Store Indent No.	Qty issued as per indent	Difference	Issue Rate (₹)	Total Value of Stock less Shown (₹)
B-25/152-214	04.05.2015	0.390MT	2449	0.300MT	0.090MT	50883 per MT	4579.47

**31. अग्रिमों राशियों का बिल वाऊचरों के बिना समायोजन किए जाने सम्बन्धी अनियमितता:-**

अंकेक्षण के दौरान स्टॉक अभिलेख वर्ष 2015-16 की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित समायोजन वाऊचरों द्वारा विभिन्न फर्मों को प्रदत्त विविध अग्रिम राशियों का समायोजन किया गया था परंतु समायोजन से संबन्धित बिल वाऊचर जिसके आधार पर अग्रिम राशियों का समायोजन किया गया था समायोजन वाऊचरों के साथ संलग्न नहीं थे तथा समायोजन वाऊचरों में केवल GR संख्या अंकित की गई थी और संबन्धित GR के साथ भी बिल वाऊचर संलग्न नहीं थे, जिसके अभाव में अग्रिम राशियों के समायोजन की सत्यापना अंकेक्षण में संभव न हो सकी। वर्णित अनियमितता का समाधान अब इन सभी अग्रिम राशियों से संबन्धित बिल वाऊचर, ए.पी.आर. इत्यादि आगामी अंकेक्षण के दौरान आवश्यक सत्यापना हेतु प्रस्तुत करके किया जाए तथा भविष्य में अग्रिम राशियों के समायोजन वाऊचर में बिल वाऊचर इत्यादि संलग्न किए जाने भी सुनिश्चित किए जाए:-

दिनांक	समायोजन वाऊचर संख्या	समायोजित की गई राशि	GR संख्या जिसके आधार पर अग्रिम राशियों का समायोजन किया गया था।
05/2015	01	410915.00	No detail of GR Mention with the Adjustment Voucher.
06/2015	09	806753.00	No detail of GR Mention with the Adjustment Voucher.
06/2015	11	211916.00	GR.No. 3102 P/O 45MT Cement
07/2015	10	565911.00	No detail of GR Mention with the Adjustment Voucher.
08/2015	10	293786.00	GR No. 2929 P/O 900 Bags of Cement
08/2015	11	210084.00	GR No. 2924P/O 900 Bags of Cement
08/2015	20	2577058.00	GR No.3108,3109,3110,3111,3112,3113,3114,3115,3116
09/2015	9	420168.00	GR No. 2928,2929,2930
09/2015	11	335614.00	No detail of GR Mention with the Adjustment Voucher.
11/2015	16	1092452.00	GR No. 2931,2932,2933,2934 P/O 234 MT Cement
11/2015	5	376606.00	No detail of GR Mention with the Adjustment Voucher.
11/2015	6	375810.00	No detail of GR Mention with the Adjustment Voucher.
12/2015	4	509027.00	GR No. 3126,3127,3128 P/O 90MT Cement
12/2015	09	2564680.00	No detail of GR Mention with the Adjustment Voucher.
12/2015	11	479448.00	No detail of GR Mention with the Adjustment Voucher.
01/2016	06	1851352.00	No detail of GR Mention with the Adjustment Voucher.
02/2016	9	387613.00	GR No. 3129,3130 P/O 72 MT Cement
02/2016	13	1116334.00	GR No. 2937,2938,P/O 28.56MT Steel
02/2016	16	2040117.00	GR No. 3132,3132,3133,3134 P/O Cement & Steel
03/2016	05&06	939132.00	GR No. 2939,2940,2941 P/O 99 MT Cement
03/2016	14	430681.00	GR No. 3135 P/O 80MT Cement
03/2016	17	1907452.00	No detail of GR Mention with the Adjustment Voucher.
	<b>Total</b>	<b>19902909</b>	

**32 विविध अग्रिम लेखा शीर्षक के अंतर्गत ₹95.06 लाख का दिनांक 31.03.2016 को  
समायोजन हेतु शेष पाया जाना**

अंकेक्षण को परिशिष्ट-ज द्वारा प्रस्तुत विविध अग्रिम से संबन्धित विवरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि निर्माण मण्डल परवाणु के अंतर्गत दिनांक 31.03.2016 को विभिन्न विभागों/फ़र्मों/संविदाकारों को प्रदत्त ₹95,05,596.97 की अग्रिम राशियां समायोजन हेतु शेष थी जिनमें से अधिकतर राशियाँ अनेक वर्षों से लम्बित थी जोकि

गम्भीर चिंता का विषय है। अतः इस संबंध में परामर्श दिया जाता है कि अग्रिम के समायोजन हेतु शीघ्र विशेष पग उठाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया।

33 लघु आपत्ति विवरणिका:- यह अलग से जारी नहीं कि गई हैं क्योंकि लघु आपत्तियों का निपटारा स्थल पर ही कर लिया गया था।

34 निष्कर्ष :- लेखाओं के रख रखाव में और सुधार की अति आवश्यकता हैं

हस्ता / -  
(हेमराज भारद्वाज)  
उप निदेशक,  
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.  
फोन नं० 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:-फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)121/88- खण्ड-17-6504-6506 दिनांक,31.10.17  
शिमला-09,

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2
- 2 सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम बिहार शिमला-171002 का इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि इस प्रतिवेदन के पैरा संख्या 1 (ख) के सन्दर्भ में उचित कार्रवाई करवाना सुनिश्चित करें।
- पंजीकृत 3 अधिशासी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल परवाणू, जिला सोलन हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई उचित कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / -  
(हेमराज भारद्वाज)  
उप निदेशक,  
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.  
फोन नं० 0177-2620881

## परिशिष्ट-क

(अंकेक्षण पैरा संख्या 1 (ग) के सन्दर्भ में)

(1) निर्माण मण्डल मण्डी से स्थानान्तरित पैरे

1 अवधि 1984-85 पैरा 19 एफ अनिर्णीत

(2) शिमला मण्डल-II से परवाणू निर्माण मण्डल को स्थानांतरित पैरे

(i) टंकेक्षण अवधि 04/91 से 03/1992

1	पैरा-5 (ण)	अनिर्णीत
2	पैरा-5 (ज)	अनिर्णीत
3	पैरा-9 (क)	अनिर्णीत

**निर्माण मण्डल परवाणु**

**(3) अंकेक्षण अवधि 04 / 1995 से 03 / 1996**

1	पैरा-9	अनिर्णीत
---	--------	----------

**(4) अंकेक्षण अवधि 04 / 2006 से 03 / 2007**

1	पैरा-20	अनिर्णीत
---	---------	----------

**(5) अंकेक्षण अवधि 04 / 2008 से 03 / 2009**

1	पैरा-17	आंशित निर्णीत
---	---------	---------------

**(6) अंकेक्षण अवधि 04 / 2010 से 03 / 2011**

1	पैरा-8 (3)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर, अतिरिक्त निदेशक द्वारा दिनांक 25.3.2017 को किए निरीक्षण के दौरान)
---	------------	---------	--

**(7) अंकेक्षण अवधि 04 / 2012 से 03 / 2013**

1	पैरा-12 (ग)	अनिर्णीत
---	-------------	----------

**(8) अंकेक्षण अवधि 04 / 2013 से 03 / 2014**

1	पैरा-4 (ग) (i, ii)	अनिर्णीत
2	पैरा-9 (3)	अनिर्णीत
3	पैरा-14	अनिर्णीत
4	पैरा-15	अनिर्णीत

5	पैरा-16	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर, अतिरिक्त निदेशक द्वारा दिनांक 25.3.2017 को किए निरीक्षण के दौरान)
---	---------	---------	--

6	पैरा-18 (क)	अनिर्णीत
---	-------------	----------

7	पैरा-18 (ख)	अनिर्णीत
---	-------------	----------

(9) अंकेक्षण अवधि 04/2014 से 03/2015

1	पैरा-4	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
2	पैरा-5 (क)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
3	पैरा-5 (ख)	अनिर्णीत	
4	पैरा-5 (ग)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर, अतिरिक्त निदेशक द्वारा दिनांक 25.3.2017 को किए निरीक्षण के दौरान)
5	पैरा-5 (घ)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर, अतिरिक्त निदेशक द्वारा दिनांक 25.3.2017 को किए निरीक्षण के दौरान)
6	पैरा-5 (ङ)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर, अतिरिक्त निदेशक द्वारा दिनांक 25.3.2017 को किए निरीक्षण के दौरान)
7	पैरा-6 (क)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
8	पैरा-6 (ख)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर, अतिरिक्त निदेशक द्वारा दिनांक 25.3.2017 को किए निरीक्षण के दौरान)
9	पैरा-6 (ग)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर, अतिरिक्त निदेशक द्वारा दिनांक 25.3.2017 को किए निरीक्षण के दौरान)
10	पैरा-6 (घ)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर, अतिरिक्त निदेशक द्वारा दिनांक 25.3.2017 को किए निरीक्षण के दौरान)
11	पैरा-7	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
12	पैरा-8	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर, अतिरिक्त निदेशक द्वारा दिनांक 25.3.2017 को किए

13	पैरा-9	निर्णीत	निरीक्षण के दौरान) (अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर, अतिरिक्त निदेशक द्वारा दिनांक 25.3.2017 को किए निरीक्षण के दौरान)
14	पैरा-10 (क)	निर्णीत	(₹58313 की राशि की MB No. 2299 P.No. 54 पर करने के उपरान्त अतिरिक्त निदेशक द्वारा दिनांक 25.03. 2017 को किए निरीक्षण के दौरान)
15	पैरा-10 (ख)	निर्णीत	(₹96012 की राशि की MB No. 2262 P.No. 24 पर करने के उपरान्त अतिरिक्त निदेशक द्वारा दिनांक 25.03. 2017 को किए निरीक्षण के दौरान)
16	पैरा-10 (ग)	निर्णीत	(₹34517 की राशि की MB No. 2299 P.No. 34 पर करने के उपरान्त अतिरिक्त निदेशक द्वारा दिनांक 25.03. 2017 को किए निरीक्षण के दौरान)
17	पैरा-11	निर्णीत	(₹10780 की राशि की MB No. 2251 P.No. 59 पर करने के उपरान्त अतिरिक्त निदेशक द्वारा दिनांक 25.03. 2017 को किए निरीक्षण के दौरान)
18	पैरा-12 (क)	निर्णीत	(₹4258 की राशि की MB No. 2211 P.No. 74 पर करने के उपरान्त अतिरिक्त निदेशक द्वारा दिनांक 25.03. 2017 को किए निरीक्षण के दौरान)
19	पैरा-12 (ख)	निर्णीत	(₹1049 की राशि की MB No. 211 P.No. 74 पर करने के उपरान्त अतिरिक्त निदेशक द्वारा दिनांक 25.03. 2017 को किए निरीक्षण के दौरान)
20	पैरा-12 (ग)	निर्णीत	(₹5214 की राशि की MB No. 2211 P.No. 74 पर करने के उपरान्त अतिरिक्त निदेशक द्वारा दिनांक 25.03. 2017 को किए निरीक्षण के दौरान)
21	पैरा-13 (क)	निर्णीत	(₹3373 की राशि की MB No. 2221 P.No. 29 पर करने के उपरान्त अतिरिक्त निदेशक द्वारा दिनांक 25.03. 2017 को किए निरीक्षण के दौरान)

22	पैरा-13 (ख)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर अतिरिक्त निदेशक द्वारा दिनांक 25.03.2017 को किए निरीक्षण के दौरान)
23	पैरा-13 (ग)	अनिर्णीत	
24	पैरा-14 (क)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर अतिरिक्त निदेशक द्वारा दिनांक 25.03.2017 को किए निरीक्षण के दौरान)
25	पैरा-14 (ख)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर अतिरिक्त निदेशक द्वारा दिनांक 25.03.2017 को किए निरीक्षण के दौरान)
26	पैरा-15	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर अतिरिक्त निदेशक द्वारा दिनांक 25.03.2017 को किए निरीक्षण के दौरान)
27	पैरा-16	अनिर्णीत	
28	पैरा-17	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर अतिरिक्त निदेशक द्वारा दिनांक 25.03.2017 को किए निरीक्षण के दौरान)
29	पैरा-18	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर अतिरिक्त निदेशक द्वारा दिनांक 25.03.2017 को किए निरीक्षण के दौरान)
30	पैरा-19	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर अतिरिक्त निदेशक द्वारा दिनांक 25.03.2017 को किए निरीक्षण के दौरान)
31	पैरा-20	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर अतिरिक्त निदेशक द्वारा दिनांक 25.03.2017 को किए निरीक्षण के दौरान)
32	पैरा-21	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर अतिरिक्त निदेशक द्वारा दिनांक 25.03.2017 को किए निरीक्षण के दौरान)
33	पैरा-22	अनिर्णीत	

34	पैरा-23	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर अतिरिक्त निदेशक द्वारा दिनांक 25.03.2017 को किए निरीक्षण के दौरान)
35	पैरा-24	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
36	पैरा-25	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर अतिरिक्त निदेशक द्वारा दिनांक 25.03.2017 को किए निरीक्षण के दौरान)
37	पैरा-26	अनिर्णीत	